

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

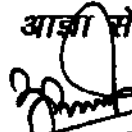
क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1 \ 80 / 2022

दिनांक ⁰⁶ : 04.2022

श्रीमती गार्गी चौधरी (RJ1109) सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनवां (बून्दी) को दिनांक 18.04.2022 से 22.04.2022 तक 05 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 17.04.2022 एवं 23.04.2022 से 24.04.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती चौधरी की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डोली (बून्दी) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनवां (बून्दी) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 06.04.2022

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/97/2016/2690

दिनांक 06.04.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी को उनके पत्रांक 681 दिनांक 25.03.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती गार्गी चौधरी (RJ1109) सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनवां (बून्दी)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनवां (बून्दी)।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डोली (बून्दी)।


सहायक रजिस्ट्रार